कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय–आदेश ::

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक : 02.07.2019 द्वारा राज्य के समस्त जिला मुख्यालयों पर सत्र 2019–20 से स्थापित किए गए राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में विषयवार वरिष्ठ अध्यापक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, अध्यापक लेवल–2 (अंग्रेजी, गणित), अध्यापक लेवल–1, पुस्तकालयाध्यक्ष, प्रयोगशाला सहायक एवं कम्प्यूटर शिक्षक के पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। उक्त बाबत् यह स्पष्ट किया जाता है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के अवसर पर राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय स्थापना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें उत्कृष्ट स्तर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था विभागीय लक्ष्य है। उक्त लक्ष्य पूर्ति हेतु इन समस्त विद्यालयों में साक्षात्कार द्वारा चयनित शिक्षकों/कार्मिकों के पदस्थापन/कार्यग्रहण के सम्बन्ध में निर्देशानुसार एतद् द्वारा स्थिति स्पष्ट की जाती है :–

1. वॉक–इन–इन्टरव्यू द्वारा चयनित समस्त शिक्षकों/कार्मिकों का पदस्थापन शैक्षिक सत्र : 2019–20 हेतु किया गया है। सत्र की समाप्ति के उपरान्त उक्त समस्त चयनित शिक्षकों/कार्मिकों की पदस्थापन अवधि में कार्य प्रदर्शन एवं संतोषप्रद सेवा के आधार पर वृद्धि की जा सकेगी।
2. स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों/कार्मिकों, जिनका चयन उक्त विद्यालयों में किया गया है, उनके लिए प्रतिनियुक्ति विभाग से कार्यमुक्ति हेतु कार्यग्रहण अवधि बढाई जाकर 12 जुलाई, 2019 की जाती है। इन समस्त शिक्षकों/कार्मिकों की मूल सेवा एवं वरिष्ठता की गणना उनके मॉडल स्कूल में प्रतिनियुक्ति से पूर्व कार्यरत जिला/मण्डल में ही की जाएगी।
3. साक्षात्कार के आधार पर चयन किए जाने के कारण वर्तमान में टी.एस.पी. क्षेत्र में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जिनका पदस्थापन इन विद्यालयों में किया गया है, उनकी मूल सेवा एवं वरिष्ठता की गणना उनके नियुक्ति स्थान से संबंधित टी.एस.पी. क्षेत्र में ही की जाएगी।

(नूतन बाला कपिला)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक :– शिविरा/माध्य/संस्था/एफ–1ए/महात्मा गांधी (अंग्रेजी)/19 दिनांक :–04.07.2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
02. शासन उप सचिव (शिक्षा ग्रुप–2) राजस्थान, जयपुर।
03. संबंधित संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त निर्देशानुरूप समस्त चयनित शिक्षकों/कार्मिकों की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करावें।
04. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा को समस्त चयनित शिक्षकों/कार्मिकों की कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
05. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. संबंधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित कार्मिक।
08. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)